

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर- 634) अलेसे- I/1626-36

दिनांक:- 12/02/2026

आदेश

श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल (लिनक नं0 2250), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय कोषाधिकारी, पेंशन, जयपुर को दिनांक 09.02.2026 को 10,000/- रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को उनकी गिरफ्तारी दिनांक 09.02.2026 से निलम्बित कर मुख्यालय कोषालय, बांरा किया जाता है।

श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

12/2/2026  
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर- 634) अलेसे- I/1626-36

दिनांक:- 12/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी, बांरा।
- 3 कोषाधिकारी, पेंशन, जयपुर।
- 4 श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय कोषाधिकारी, पेंशन, जयपुर।
- 5 संयुक्त निदेशक (आई.टी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 7 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।

7/2/2026  
(लखपत मीना)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)